सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

8वॉ तल, टावर–4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002, उत्तर प्रदेश
website: https://uppolice.gov.in e- mail : tshq@up.nic.in ☎/🖷 : 0522-2390290

पत्रॉकः टीएस–सीसीटीएनएस–15/2010(IV) दिनांकःअगस्त 27, 2019

सेवा में,

1. पुलिस अधीक्षक/ सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ
2. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सीनियर जी0एम0 (ई0बी0) भारत संचार निगम लिमिलेड, भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ।
4. पुलिस उपाधीक्षक, सीसीटीएनएस, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
5. श्री आशीष सिंह, नवीन श्रीवास्तव, एसपीएमयू/ श्री आशीष जायसवाल, प्रोग्रामर ग्रेड–2 उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।

विषयः– सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित "State Apex Committee" की बैठक दिनांक 02.08.2019 के कार्यवृत्त के अनुपालन के सम्बन्ध में।

———

कृपया सादर अवगत कराना है कि उ0प्र0शासन द्वारा सीसीटीएनएस योजना के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में "State Apex Committee" की बैठक दिनांकः 02–08–2019 को आहूत की गयी थी।

2– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विशेष सचिव, गृह पुलिस अनुभाग–7 उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1543/6:–पु–7–2019–78/2018 टीसी–2 दिनांक 26.08.2019 द्वारा संलग्न बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकःयथोपरि ई–मेल द्वारा।

27/8

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को कार्यवृत्त की प्रति ई मेल के माध्यम से संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिदेशक, एनसीआरबी एन0एच0–8, महिपालपुर, नई दिल्ली–110037
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।

4. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफीसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सचिव, गृह विभाग, गृह (पुलिस) अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव, गृह विभाग, गृह (पुलिस) अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. श्री ऋषिरेन्द्र कुमार, विशेष सचिव, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. श्री ओ0पी0द्विवेदी, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ।
9. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु साथ ही अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।

सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "स्टेट एपेक्स कमेटी" की दिनांकः 02-08-2019 समय 11.00 बजे मुख्य सचिव, उ0प्र0 के सभाकक्ष में आहूत की गयी बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः
सर्वश्री

1. अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. बी0पी0 जोगदण्ड, अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।
4. आशुतोष पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
5. के0एस0 प्रताप कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. ऋषिरेन्द्र कुमार, विशेष सचिव, सूचना एवं प्राद्यौगिकी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7. ओ0पी0 द्विवेदी, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. जे0 चन्द्रन, सहायक निदेशक, एनसीआरबी, एम0एच0ए0 नई दिल्ली।
9. शहाब रशीद खां, पुलिस अधीक्षक/ सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
10. सोमेन बर्मा, पुलिस अधीक्षक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. संगीता मनीष, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, लखनऊ।
12. सुशील कुमार गंगा प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, सीसीटीएनएस, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें लखनऊ
13. नवीन श्रीवस्तव, प्रतिनिधि एसपीएमयू, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।

"Crime and Criminal Tracking Network & Systems" (CCTNS) योजना की समीक्षा हेतु दिनांक 02-08-2019 को मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में गठित "स्टेट एपेक्स कमेटी" की बैठक आहूत की गयी।

अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा मुख्य सचिव महोदय को बैठक के विषय वस्तु से संक्षेप में अवगत कराते हुए , अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं से समिति की पूर्व बैठक दिनांक 04.01.2019 की अनुपालन आख्या एवं प्रश्नगत बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं को विस्तृत रूप से मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि सी0सी0टी0एन0एस0 के लिए 2Mbps MPLS कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न कम्पनियों ने लिखित शिकायतें भेजी थीं। वर्तमान में 10 Mbps MPLS कनेक्टिविटी के अनुक्रम में समिति द्वारा चर्चा की गयी कि यह टेण्डर एक बृहद टेण्डर है, जिसमें पारदर्शिता के लिए विभिन्न कम्पनियों की शिकायतों के दृष्टिगत समिति द्वारा तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा पूर्व में की गयी टेण्डर प्रक्रिया को निरस्त करते हुए टेण्डर की पुनः प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किये जाने के निर्देश दिये गये । यह निर्णय लिया

गया कि टेण्डर प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार सी0वी0सी0 की गाइड लाइन,सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की सेवाएं लेने एवं उ0प्र0प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रश्नगत टेण्डर प्रक्रिया में तकनीकी समिति में टेण्डर की कार्यप्रणाली में दक्ष किसी भिज्ञ अधिकारी को भी सदस्य के रूप में नामित किये जाने एवं टेण्डरिंग प्रक्रिया समयवद्ध रूप से एक माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों/उ0प्र0 विधानसभा की लोक लेखा समिति (2017-18) के निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में 15 रिपोर्टिंग आउट पोस्ट हेतु जनपदीय पुलिस अधीक्षकों द्वारा हार्डवेयर उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा उनमें कनेक्टिविटी हेतु नई टेण्डर की कार्यवाही सम्पन्न होने पर इस समस्या का समाधान स्वतः हो जायेगा, जिससे सभी लोकेशन पर निर्बाध कनेक्टिविटी प्राप्त हो जायेगी।

3. उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं द्वारा वर्तमान समय में बीएसएनएल से प्राप्त की जा रही कनेक्टिविटी को ई-टेण्डर से उक्त कार्य पूर्ण होने तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर (SDC) एवं डाटा रिकवरी सेण्टर (DRC) पुणे के Tech Refresh हेतु रू0 4.33 करोड़ का व्ययभार बताया गया । अपरिहार्य एवं आकस्मिकता की स्थिति में स्टोरेज क्षमता बढ़ाये जाने हेतु रू0 30 लाख का व्ययभार अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं द्वारा समिति को अवगत कराया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. NCRB द्वारा प्रदत्त COGNOS Business Intelligence (BI) tool की स्थापना के लिए आवश्यक हार्डवेयर क्रय हेतु रू0 80,00,000 की आवश्यकता बतायी गयी, जिसे समिति द्वारा अनुमोदित करते हुए ई-टेण्डर के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. UPCOP Mobile App के प्रचार-प्रसार हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं द्वारा अवगत कराया गया कि थानों में 20x10 की होल्डिंग लगनी शुरू हो गयी है, जिस पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा तहसील/क्षेत्राधिकारी स्तर पर भी होडिंग लगाने एवं उन साइटों की सूची शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश तकनीकी सेवाएं मुख्यालय को दिया गया।

7. समिति द्वारा UPCOP Mobile App के प्रचार प्रसार के लिए बेल याचिका संख्याः 8835/2018 रवि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 25.03.2019 के अनुपालन में प्रचार-प्रसार हेतु मीडिया प्लान तैयार किये जाने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के साथ बैठक निर्धारित करते हुए कार्ययोजना तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा आम जनता में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कराये जाने, विशेष कर विद्यालयों एवं कालेजों में छात्र/ छात्राओं के बीच विशेष रूप से प्रचार प्रसार पर अनुमोदन प्रदान किया गया। जिलाधिकारी, एस0डी0एम0, तहसील, ब्लाक कार्यालयों के साथ-साथ जनपद के पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालयों पर भी UPCOP की होर्डिंग सूचना विभाग के माध्यम से लगवाकर प्रचार प्रसार की संस्तुति की गयी।

8. SPMU (State Project Management Unit) के एक वर्ष हेतु 10 रिसोर्स को हायर कर योजना के सफल क्रियान्वयन की संस्तुति की गयी। इससे NIIT को पूर्व में रू0 11 करोड़ दिया जाना प्रस्तावित था, लेकिन यह कार्य तकनीकी सेवायें द्वारा मात्र रू0 2.5 करोड़ में हो रहा है, जिससे राजकीय धनराशि की बचत हो रही है एवं उक्त माडल पर सी0सी0टी0एन0एस0 का सफल क्रियान्वयन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं द्वारा 01 वर्ष में अपना सिस्टम डेवलप करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर समिति ने डाटा की विश्वसनीयता, सुरक्षा एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत तकनीकी सपोर्ट हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक प्रोफेशनल एजेन्सी को System Integrator के रूप में ई-टेण्डर के माध्यम से चयनित किये जाने का निर्देश दिया गया।

9. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं के VPN (Virtual Private Network) सर्वर से वी0पी0एन0 सार्टिफिकेट जारी कर समस्त विवेचकों और अधिकारियों को मोबाइल व एमडीटी से सुरक्षित नेटवर्क से जोड़े जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।

10. प्रोग्रामरों, विवेचकों, थानाध्यक्षों एवं कम्प्यूटर आपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

11. थानों के शेष लिगेसी डाटा के डिजिटाईजेशन हेतु यूपीडेस्को द्वारा चयनित फर्म के द्वारा समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण न कराये जाने के कारण संस्था को ब्लैक लिस्टेड किये जाने की कार्यवाही यूपीडेस्को द्वारा पूर्ण किये जाने एवं तकनीकी सेवायें स्तर से ही ई-टेन्डिरिंग के माध्यम से प्रोग्रामिंग बेस एवं सी0सी0टी0एन0एस0 के अनुरूप कार्ययोजना के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश समिति द्वारा दिये गये । लिगेसी डाटा डिजिटाईजेशन हेतु प्रथम चरण में वर्ष 2013-14 के रिकार्ड एवं पिछले 10 वर्ष के अवशेष रिकार्ड हेतु रू0 1,00,00,000/- के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।

12. Interoperable Criminal Justice System [ICJS] के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 03-04-2019 के पत्र के सन्दर्भ में स्टेट लेवल कमेटी के गठन के सन्दर्भ में मुख्य सचिव द्वारा स्टेट लेवल कमेटी का गठन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। इसके उपरान्त गठित स्टेट लेवल कमेटी की मीटिंग शीघ्र बुलाकर भारत सरकार की मंशा के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाय। जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

13. समिति द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर में विद्युत पावर की समस्या के समाधान हेतु यूपीडेस्को के अधिकारियों को इसके सम्यक निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।

14. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में खरीदे गये सर्वरों में, विशेष रूप से ऋण माफी के सर्वरों में से जो खाली पड़े सर्वर हैं और जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, यदि वे सी0सी0टी0एन0एस0 के मानकों के अनुरूप हों, तो उनको सीसीटीएनएस के उपयोग हेतु दिए जाने के निर्देश श्रीमती संगीता मनीष, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को दिये गये ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

संख्या- 1543 /6-पु-7-2019-78/2018टीसी-2

लखनऊ: दिनांक: 26 अगस्त, 2019

मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट एपेक्स कमेटी की दिनांक 02.08.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त विभाग/लघु उद्योग विभाग/आई0टी0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
4. नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस एवं अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस तकनीकी सेवाएं लखनऊ।
5. निदेशक,एनसीआरबी, एम0एच0ए0 नई दिल्ली।
6. निदेशक एन0आई0सी0 उ0प्र0 लखनऊ।
7. सीनियर जी0एम0(ई0बी0) भारत संचार निगम लि0 भोपाल हाउस,लालबाग, लखनऊ
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से

26.8.19

(अविनाश सिंह)

विशेष सचिव,

PRADUMN/Proceeding